क्रम-संख्या---96

उत्तर प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन (पुनर्संगठन) विभाग
संख्या 52 (1)/74---ओ० एण्ड एम०
लखनऊ, दिनांक 5 अप्रैल, 1974

विषय---मुख्य सचिव शाखा का पुनर्गठन ।

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्य कलापों में निरन्तर वृद्धि होने के कारण अब यह आवश्यक हो गया है कि विभिन्न शाखाओं को इस प्रकार पुनर्गठित किया जाय कि उनका कार्य सुचारुरूप से गतिशीलता के साथ होता रहे । इस उद्देश्य से यह

निर्णय लिया गया है कि सर्व प्रथम यह पुनर्संगठन मुख्य सचिव शाखा से आरम्भ किया जाय तथा इस शाखा को 5 भागों में निम्न प्रकार बांटा जाए जिससे शाखा में आने वाले नवीन कार्यों (प्रशासनिक सुधार, परसोनल, सार्वजनिक उद्यम तथा सेवा संराधन) का भी समावेश हो जाय :

1—गोपन तथा सतर्कता शाखा ।
2—प्रशासन शाखा ।
3—प्रशासनिक सुधार तथा सेवा संराधन शाखा ।
4—मुख्य मंत्री जी के सचिव शाखा ।
5—पर्वतीय विकास सचिव शाखा ।

उपरोक्त विभागों में कार्य विवरण निम्न प्रकार रहेगा :—

(1) गोपन तथा सतर्कता शाखा

इन विभागों का कार्य पूर्ववत होता रहेगा और सभी महत्वपूर्ण मामलों में मुख्य सचिव के आदेश प्राप्त किये जाते रहेंगे । अन्तर केवल यह होगा कि मंत्रिपरिषद् के आदेशों के अनुसरण से सम्बन्धित कार्य मुख्य मंत्रीजी के सचिव के माध्यम से हुआ करेगा ।

(2) प्रशासन शाखा ।

इस शाखा में निम्नांकित विभाग होंगे :—

(अ) परसोनल विभाग ।
(ब) सामान्य प्रशासन विभाग ।
(स) सचिवालय प्रशासन विभाग ।
(द) भाषा विभाग ।

परसनल विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभाग पूर्ववत् कार्य करते रहेंगे । परसोनल विभाग में वर्तमान नियुक्ति विभाग का सब कार्य होगा । सिविल एवं न्यायिक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं से संबंधित परसोनल के कार्य मुख्य मंत्री जी के सचिव देखेंगे । पुलिस सेवा से संबंधित कार्य पूर्ववत गृह सचिव के माध्यम से होता रहेगा ।

इस सम्बंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी सेवाओं से संबंधित परामर्श देने का कार्य पूर्ववत् नियुक्ति सचिव के अधीन नियुक्ति विभाग करता रहेगा तथा सभी प्रशासकीय विभाग अपने से संबंधित सेवाओं का कार्य भी पूर्ववत करते रहेंगे। लेकिन प्रशासनिक एवं न्यायिक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं से संबंधित समन्वय कार्य मुख्य मंत्री जी के सचिव करेंगे ।

(3) प्रशासनिक सुधार एवं सेवा संराधत शाखा धन—

इसके अन्तर्गत निम्नांकित अनुभाग होंगे :—

(अ) प्रशासनिक सुधार अनुभाग ।
(ब) कर्मचारि सेवा योजित सम्बंध अनुभाग ।
(स) लोक क्षेत्रीय उद्यम अनुभाग ।
(द) रूल्स सेल ।

(अ) प्रशासनिक सुधार विभाग—

मैं सामान्य प्रशासन (पुनर्संगठन) विभाग के वर्तमान कार्य के अतिरिक्त राज्य के विभिन्न विभागों का सर्वेक्षण सुधार प्रतिनिधायन सम्बंधी कार्य होगा ।

(ब) कर्मचारि सेवा संराधन अनुभाग—

यह एक नया अनुभाग होगा जो कर्मचारियों के सेवा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के विषय में कार्यरत रहेगा। यह कर्मचारियों के अनुशासन संबंधी कार्य के साथ-साथ कल्याणकारी योजना तथा उनके कष्ट निवारण का भी कार्य करेगा ।

(स) लोक क्षेत्रीय उद्यम अनुभाग—

यह भी एक नया अनुभाग होगा और यह कार्मिक, नियोजन, नियंत्रण तथा उद्यम की 'मानिटरिंग' हेतु कार्य करेगा ।

(द) रूल्स सेल—

यह सेल जो अभी तक नियुक्ति सचिव के नियंत्रण में कार्य कर रहा था, अब प्रशासनिक सुधार सचिव के अधीन कार्य करेगा ।

(4) मुख्य मंत्री जी के सचिव शाखा—

अपने कार्य के अतिरिक्त मुख्य मंत्री जी के सचिव निम्नांकित कार्य भी देखेंगे :—

(क) मंत्रि परिषद् के आदेशों का अनुसरण ।
(ख) अभ्यर्थना विभाग ।
(ग) परसोनल ।

(भारतीय प्रशासनिक तथा प्रादेशिक प्रशासनिक एवं न्यायिक सेवाओं के अतिरिक्त, अन्य सेवाओं से संबंधित समन्वय कार्य।)

(5) पर्वतीय विकास सचिव शाखा—

इस शाखा में पर्वतीय जिलों से सम्बंधित समस्त कार्य रहेगा ।

2—उपरोक्त पुर्नसंगठन में नवीन कार्यों के प्रारम्भ होने की स्थिति में तथा राज्य की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में नया स्टाफ देना सम्भव न होगा। अतः यह निर्णय लिया गया है कि मुख्य सचिव शाखा में तथा सचिवालय में उपलब्ध स्टाफ से कार्य लिया जायगा ।

3—ये आदेश वित्तीय वर्ष 1974-75 से लागू होंगें ।

भैरव दत्त सनवाल,
मुख्य सचिव ।

संख्या 32 (1)/74—ओ0 एन्ड एम0-1

प्रतिलिपि मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के निजी सचिवों को मंत्री जी के सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि शासन के समस्त सचिव, विशेष सचिव तथा सचिवालय के समस्त अनुभागों को भी सूचनार्थ प्रेषित।

भैरव दत्त सनवाल,
मुख्य सचिव ।